

54

177

Statement of Shri Mohd. Zakir, Light Vehicle Driver, Directorate of Tribal Welfare.
Port Blair recorded on 21.12.09.

मैं मोहम्मद जाकिर आज तारीख 21.12.09 को Shri Govind Ram, Executive Secretary, AAJVS/Asstt. Commissioner(TW) के केस में अपना बयान देने को हाजिर हुआ हूँ और Charged Officer Shri Govind Ram तथा Presenting Officer Shri Jamil Baksh के सामने यह बयान दे रहा हूँ।

मैं Tribal Welfare Department में ड्राइवर के पद पर मार्च 1999 से कार्य करता हूँ और जिप्सी नं० AN 01 C-0425 चलाता हूँ। Shri गोविन्द राम, Asst. Commissioner, (TW) इसी गाड़ी का उपयोग करते थे। 07.10.08 को Shri गोविन्द राम साहब और Dy. SP, Middle Andaman सुबह 9.00 बजे दौरे पर Tirur गए। जाते समय गोविन्द राम साहब Dy. SP साहब के साथ उनके Tata Sumo में गए और मैं अपनी गाड़ी लेकर पीछे-पीछे गया। Herbertabad Community Hall में गांववासियों के साथ मीटिंग करके लगभग 12.00 बजे हम लोग अपनी गाड़ी (जिप्सी) से पोर्ट ब्लेयर के लिए चल पड़े और Dy. SP साहब बम्बूफ्लाट को चले गए। 2.00 बजे हम School Line पहुंचे जहां गोविन्द राम साहब अपने दोस्त की जमीन पर रुक गये। उनकी जमीन का कुछ मामला था। साहब और उनके दोस्त ने जमीन का inspection किया फिर गोविन्द राम साहब अपने दोस्त को कुछ लिखवाने लगे। इसी में थोड़ा समय लग गया तभी 2.45 के समय P.C.R की गाड़ी Minnie Bay Aberdeen की तरफ से वहाँ आई और पुलिस वालों ने साहब को P.C.R गाड़ी में बैठकर Aberdeen थाने चलने को कहा। उनका कहना था कि Jaya Lakshmi नाम की किसी महिला ने टेलीफोन पर यह शिकायत की थी कि गोविन्द राम साहब उनके घर Minnie Bay में गए थे और उनसे बदतमीजी की थी। जब गोविन्द राम साहब ने कहा कि हम तो Tirur से आ रहे हैं और Minnie Bay गए ही नहीं तो पुलिस वालों ने कहा कि आपको जो कहना है Aberdeen थाना में चलकर कहो। आखिरकार गोविन्द राम साहब P.C.R Van में बैठकर Aberdeen थाना गए और मैं अपनी गाड़ी लेकर पीछे-पीछे गया।

(Mohd. Zakir)